सत्यमेव जयते

न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी-बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी —केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

प्रार्थना—पत्र संख्याः— 2025/120 दर्ज तिथिः—29.03.2025

1. राणराम पुत्र वागाराम
   जाति सुथार निवासी गुड़ामालानी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

.......................प्रार्थीगण

बनाम

1. तहसीलदार गुडामालानी जिला बाडमेर
2. गंगदान पुत्र नगदान
3. रवदान पुत्र नगदान
4. पनकंवर पत्नी नगदान
   जाति चारण निवासी डाबड़ तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर।

..................अप्रार्थीगण

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थीः—श्री डालूराम चौधरी
अप्रार्थीगणः—एकतरफा

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा—131,136
राजस्थान भू—राजस्व अधि.—1956

—:निर्णयः—

निर्णय तिथिः—05.12.2025

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी द्वारा राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 की धारा—131, 136 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निम्न प्रकार निवेदन किया है कि:—
   - कि प्रार्थी का खातेदारी खेत खसरा संख्या 1840/1302/0.1619 है0 व अप्रार्थी संख्या 02 से 03 का खातेदारी खेत खसरा संख्या 1854/1839/2.6952 है0 सरहद मौजा डाबड़ पटवार मण्डल गुड़ामालानी तहसील गुड़ामालानी में आया हुआ है।
   - कि प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 02 से 04 के पूर्वाधिकारी नगदान के खेत खसरा संख्या 1302(वर्तमान खसरा संख्या 1854/1839) रकबा 20—13 बिघा में से रकबा 0.1619 है0 भूमि क्रय की थी। जिसका राजस्व रिकॉर्ड में अंकन होने से नया खसरा संख्या 1840/1302/0.1619 है0

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.12.07 18:16:48 IST
Reason: SelfAttested

दर्ज किया गया। वक्त खरीद से कब्जा अप्रार्थी संख्या 02 से 04 के पूर्वाधिकारी द्वारा प्रार्थी को सुपुर्द कर दिया गया।

- कि बेचान दस्तावेज के आधार पर नामान्तरकरण पारित करने पर रकबा का इन्द्राज तो बेचान दस्तावेज के अनुसार सही किया गया परन्तु विभक्त खसरे का लट्ठा ट्रैस व ऑनलाईन भू—नक्शा में तरमीम बेचान दस्तावेज व मौके से भिन्न अर्थात दक्षिण दिशा में जहां वर्तमान में सड़क चल रही पर चौड़ाई ज्यादा कर दी तथा पूर्व व पश्चिम भुजा की लम्बाई में कम कर दी गई है। जिससे मौके व राजस्व रिकॉर्ड में भिन्नता आने पर स्थिति विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसको दुरूस्त करवाने हेतु प्रार्थी द्वारा बेचान दस्तावेज अनुसार तरमीम परिशिष्ट—बी' एवं वर्तमान तरमीम को परिशिष्ट 'अ' में प्रदर्शित किया है जिसके अनुसार तरमीम दुरूस्त किये जाने का निवेदन किया है।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। तत्पश्चात प्रकरण में तहसीलदार गुडामालानी से मौका रिपोर्ट तलब की गई। प्रकरण में बहस पर मनन किया गया। प्रकरण में हाल राजस्व रिकॉर्ड के परीक्षण के पश्चात तहसीलदार गुडामालानी पत्रांक / कोर्ट / भू.अ. / 2025 / 1677 दिनांक 20.11.2025 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा प्रस्तुत किया है। उक्त तहसीलदार गुडामालानी द्वारा पत्रांक / कोर्ट / भू.अ. / 2025 / 1677 दिनांक 20.11.2025 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा का अवलोकन किया जाना आवश्यक है। जिसका तुलनात्मक विवरण निम्न प्रकार हैः—

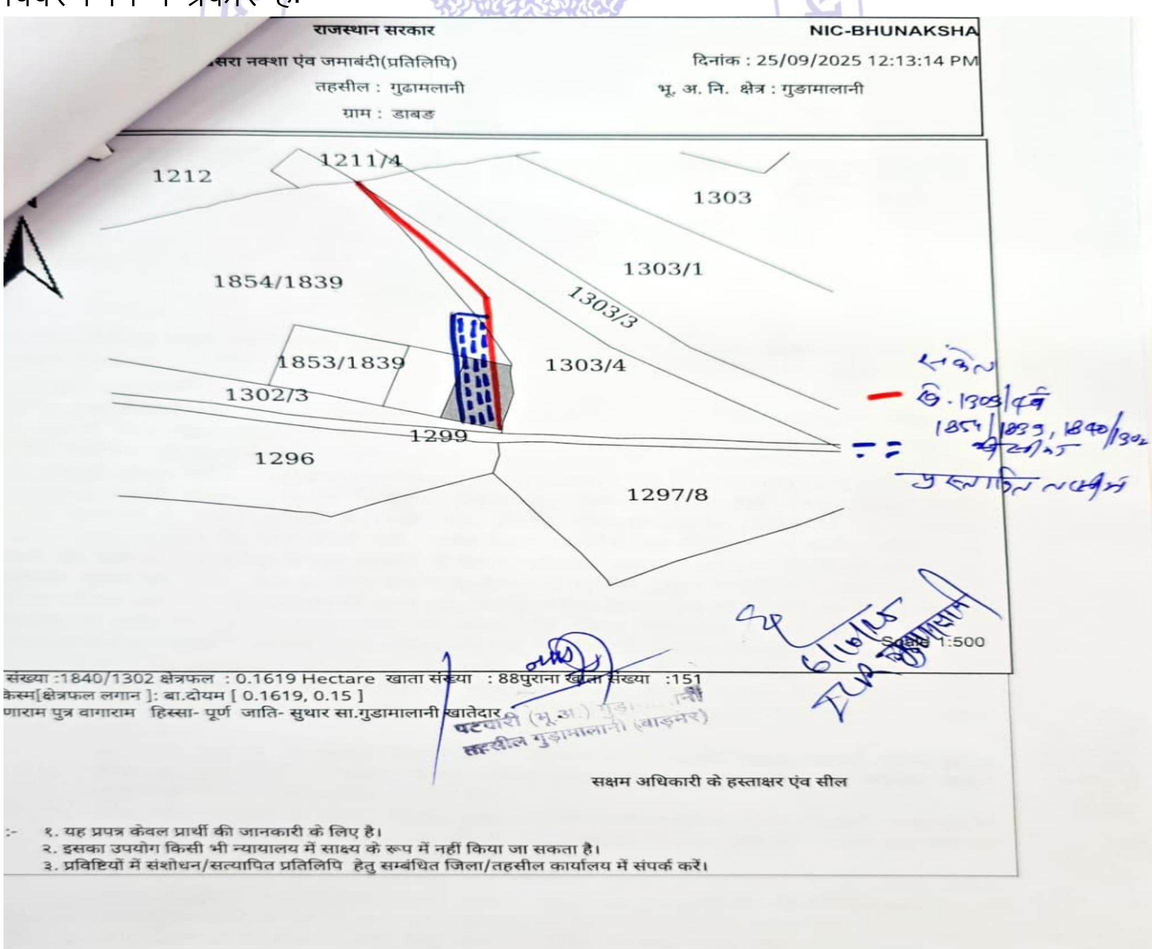

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.12.07 18:16:48 IST
Reason: SelfAttested

3. प्रकरण में तहसीलदार गुडामालानी द्वारा पत्रांक / कोर्ट / भू.अ. / 2025 / 1677 दिनांक 20.11.2025 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के प्रासांगिक विवरण का उद्धरण इस प्रकार हैः—

   1. कि राजस्व ग्राम डाबड़ के खसरा संख्या 1302 (वर्तमान खसरा संख्या 1854 / 1839) रकबा 3.0189 है0 के बेचान से बने नया खसरा संख्या 1840 / 1302 रकबा 0.1619 है0 की तरमीम बेचान दस्तावेज से भिन्न दर्ज हुई है।
   2. कि राजस्व ग्राम डाबड़ के खसरा संख्या 1302 (वर्तमान खसरा संख्या 1854 / 1839) रकबा 3.0189 है0 के बेचान से बने खसरा संख्या 1840 / 1302 का मौके पर कब्जा व राजस्व नक्शे में तरमीम में भिन्नता है।
   3. कि राजस्व ग्राम डाबड़ के खसरा संख्या 1302 (वर्तमान खसरा संख्या 1854 / 1839 रकबा 3.0189 है0 के बेचान से बने हाल खसरा संख्या 1840 / 1302 की तरमीम प्रार्थीगण के वास्तविक कब्जा काश्त अनुसार तरमीम दुरूस्त किया जाना प्रस्तुत है।
   4. खसरा संख्या 1303 / 4 व 1854 / 1839 की सीमा में लट्ठा ट्रेस व ऑनलाईन रेकर्ड में भिन्नता है। जिसकी भी तरमीम दुरूस्तीकरण किया जाना प्रस्तावित है।

4. प्रकरण में तहसीलदार गुडामालानी द्वारा पत्रांक / कोर्ट / भू.अ. / 2025 / 1677 दिनांक 20.11.2025 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा तथा हाल राजस्व नक्शा के तुलनात्मक अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण की आराजी खसरा संख्या 1840 / 1302 मौजा डाबड़ का वर्तमान राजस्व नक्शा में अंकन मौके की स्थिति से भिन्न है। इस प्रकार हाल राजस्व नक्शा व कब्जे अनुसार प्रस्तावित नजरी नक्शा के अनुसार प्रार्थी की आराजी का रकबा समान है। परन्तु कब्जे के मुताबिक तरमीम नहीं की हुई है। तहसीलदार गुडामालानी द्वारा पत्रांक / कोर्ट / भू.अ. / 2025 / 1677 दिनांक 20.11.2025 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट से प्रस्तावित तरमीम से प्रार्थी की आराजी का रकबा प्रभावित नहीं होगा। अपितु कब्जे के अनुसार तरमीम दुरूस्ती की जाकर केवल राजस्व रिकॉर्ड में परिवर्तन होगा। इस प्रकार मुताबिक तहसीलदार गुडामालानी द्वारा पत्रांक / कोर्ट / भू.अ. / 2025 / 1677 दिनांक 20.11.2025 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा तरमीम दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा 131, 136 के अन्तर्गत प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गुडामालानी को निर्देश दिये जाते हैं कि पत्रांक/कोर्ट/भू.अ./2025/1677 दिनांक 20.11.2025 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा अनुसार तरमीम दुरुस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा निर्णय का अनन्य भाग रहेगा।

उक्त निर्णय की पालना हेतु एक प्रति तहसीलदार गुडामालानी को भिजवायी जावें।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.12.07 18:16:48 IST
Reason: SelfAttested

यह आदेश आज दिनांक 05.12.2025 को लिखवाया जाकर सरे—इजलास सुनाया गया एवं अधोहस्ताक्षकर्ता की मुहर व हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी—बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.12.07 18:16:48 IST
Reason: SelfAttested